

# लंबे समय बाद एसआइआर होने के चलते बड़े पैमाने पर लिस्ट से कटे वोटरों के नाम 2004 से पहले आमतौर पर तीन से सात साल के अंतराल में होता रहा था एसआइआर

अरविंद पांडेय • जागरण

नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की ओर से बार बार 13 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा दिया जा रहा है। लेकिन, एक बड़ी बात को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है कि एसआइआर 21 साल के अंतराल न हुआ होता तो संभवतः आंकड़े भी कम ही आते। 2004 से पहले आमतौर पर तीन से सात साल के अंतराल में एसआइआर होता रहा था। चौथे और पांचवें एसआइआर में 17 साल का अंतराल रहा। और 2004 के बाद तो इसे लगभग भुला ही दिया गया था। इसी बीच 2012 में ईआरओ हैंडबुक में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए, जिसके कारण मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं का नाम हटाने का काम भी लगभग रुक चुका था।

2025 से पहले एसआइआर आठ बार हो चुका है। 2012 में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध रखने के लिए एसआइआर की जगह सालाना होने वाले विपक्ष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को प्राथमिकता दी। इसके चलते पिछले 22 वर्षों से मतदाता सूची को एसएसआर के जरिये दुरुस्त करने की सिर्फ खानपूति की गई। नतीजा यह रहा कि दो दशकों में मतदाता सूची में

- सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण में इस बार सबसे ज्यादा 21 साल का रहा अंतराल

|             |         |
|-------------|---------|
| पहली बार    | 1952    |
| दूसरी बार   | 1957    |
| तीसरी बार   | 1961    |
| चौथी बार    | 1965-66 |
| पांचवीं बार | 1983-84 |
| छठी बार     | 1987-89 |
| सातवीं बार  | 1992-95 |
| आठवीं बार   | 2002-04 |



बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित व दोहरे मतदाताओं को भरमार हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे नामों को एसएसआर के दौरान क्यों नहीं हटाया गया? इसके पीछे भी कई बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहला एसआइआर के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच होती है। दूसरी तरफ एसएसआर के दौरान मतदाता सूची का पुनरीक्षण घर-घर जाकर

- 2012 में नए नियमों के कारण मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के भी नहीं कट रहे थे नाम

## मतदाता सूची को शुद्ध रखने की क्या है व्यवस्था

जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण तीन तरह से हो सकता है। इनमें गहन पुनरीक्षण, जिसमें घर-घर जाकर जांच होती थी। दूसरा-संक्षिप्त पुनरीक्षण। यह वार्षिक प्रक्रिया थी, जो मतदान केंद्र पर ही संचालित होती थी। तीसरा-विपक्ष पुनरीक्षण। इसमें आयोग जब चाहे, किसी क्षेत्र में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अभियान चला सकता है। अब तो आयोग मतदाता सूची में नामों को जोड़ने का अभियान लगाताए जारी रखता है। इसके तहत एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी होने पर मतदाता अपना नाम जुड़ा सकता है।

नहीं होता है। इसमें मतदान केंद्र पर मतदाताओं या परिवार के लोगों को आकर यह बताना होता है कि कौन मृत हो गया है या कौन स्थानांतरित हो गया है। गड़बड़ी बढ़ने की शुरुआत यहीं से हुई। एक और अहम बदलाव किया गया था, जिसका असर मतदाता सूची पुनरीक्षण पर पड़ा। दरअसल, यदि किसी बूथ पर दो प्रतिशत मतदाताओं का नाम हट जाता था, तो

वहां आयोग की ओर से जांच का आदेश दे दिया जाता था। जांच के चक्कर में कौन पड़े, इस डर से लोगों ने नाम हटाना ही बंद कर दिया।

2012 में चुनाव आयोग ने ईआरओ हैंडबुक में नाम हटाने को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया। आयोग ने यह व्यवस्था पारदर्शिता के लिहाज से की थी, लेकिन यह मतदाता सूची में गड़बड़ी बढ़ने की बड़ी वजह बन गया। इसके तहत मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए आवेदन के साथ प्रमाणपत्र मांगा जाने लगा। इससे लोग कतरने लगे। ऐसे में मृतकों के नाम बने ही रहे। इस बदलाव में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं के नियम भी कड़े कर दिए। इसमें मतदाता का नाम जब तक स्थानांतरित जगह पर दर्ज नहीं हो जाता था और उसकी सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के जरिये मुहैया नहीं कराई जाती थी, तब तक मूल जगह से नाम नहीं हटता था। वहीं यदि कोई स्थानांतरित होने पर नाम हटाने के लिए आवेदन करता था, तो उससे जहां रहने गए हैं, वहां का किरायानामा, बिजली का बिल आदि मांगा जाता था। हुआ यह कि लोग इस कागजी जंगाल से बचने लगे। नतीजतन स्थानांतरित होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम दो जगहों पर बने रहे। 2012 से पहले बीएलओ या परिवार की सूचना पर ही नाम हटा दिया जाता था।

## एक सप्ताह में दूसरी बार बांड भरकर जमानत पर छूटे दीपके

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के कनाट प्लेस में निषेधाज्ञा (धारा 163) का उल्लंघन कर तिरंगा मार्च निकालने के मामले में हिरासत में रहे काकरोच जमानत पाटी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजित दीपके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दीपके को शांति भंग करने के आरोप में एसीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पिछली जमानत शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर उन्हें जेल भेजने की पुर्जोर मांग की। हालांकि, अदालत में चार घंटे चली टांगी बहस के बाद भविष्य में शांति बनाए रखने का नया बांड भरवाने पर दीपके को सशर्त जमानत दे दी गई। एक सप्ताह में यह दूसरा मौका है, जब दीपके को बांड भरने के बाद जमानत दी गई। रिव्राई के बाद दीपके एनसीपी (शरद पवार गट्ट) के प्रवक्ता अनीश गवॉडे के झंडेवाला स्थित उसी आवास पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। इससे पहले 12 अक्टूबर को

- गिरफ्तार करने के बाद एसीएम कोर्ट में पेश, एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर छोड़ा
- सीजेपी संस्थापक के वकील ने दोबारा बेल बांड की शर्त का उल्लंघन न करने का किया दावा

प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर-मंतर में घुसने के आरोप में सीजेपी के सीरस दास और आशुतोष रांका को ट्रेसपास आदि कई धाराओं में केस दर्ज कर पांच दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर दीपके 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र से फ्लाइट से दिल्ली आ गए थे।

दीपके ने इंटरनेट मीडिया पर 16 अक्टूबर को कनाट प्लेस के सेंट्रल पोल में तिरंगा मार्च निकालने का एलान किया। दीपके को उम्मीद थी कि मार्च के बहाने यु्ध का भरपूर समर्थन मिल सकता है, लेकिन महज 200 से 250 समर्थक ही कनाट प्लेस के इनर सर्किल तक पहुंचे।

## छह महीने तक के शिशुओं के आहार में सुक्रोज, फ्रक्टोज मिलाने पर लगेगी रोक

नई दिल्ली, प्रेड : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने छह माह तक के शिशुओं के लिए बनाए जाने वाले खाद्य उत्पादों में सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद शिशुओं को शुरुआती उम्र में अतिरिक्त शर्करा से बचाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस प्रस्ताव का मकसद शिशुओं के पोषण संबंधी सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। एफएसएसएआइ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 में संशोधन कर मांसीदा जारी किया है। इसमें छह माह तक के शिशुओं के लिए बनाए जाने वाले खाद्य उत्पादों में सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। मांसीदा अधिसूचना पर आज लगे और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए 60 दिन का समय दिया

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 में संशोधन के लिए मांसीदा जारी किया
- इसका उद्देश्य शिशुओं को कम उम्र में अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल से बचाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना

गया है। मौजूदा नियमों में जन्म से लेकर 24 माह तक के बच्चों के लिए विभिन्न श्रेणियों के शिशु पोषण उत्पादों की पोषण संरचना, गुणवत्ता और सुरक्षा के व्यापक मानक निर्धारित हैं। वर्तमान प्रविधानों के तहत कार्बोहाइड्रेट के लिए लैक्टोज और ग्लूकोज पॉलिमर को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर निर्धारित सीमाओं के अधीन सुक्रोज या फ्रक्टोज मिलाने की अनुमति है। मंत्रालय ने कहा कि पहले छह महीने स्वास्थ्य वृद्धि और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।

- नौ नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, खुदरा कीमतों में 70 प्रतिशत तक कमी की उम्मीद
- 2019 की योजना में 526 ब्रांड की अधिकतम खुदरा कीमत 90 प्रतिशत तक घटी थी

फैसला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति में कैन्सर और चिकित्सा विशेषज्ञों, अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। दवाओं की सूची जरूरत के अनुसार समय-समय पर संशोधित की जाएगी। यह पहल एनपीपीए की 2019 में शुरू की गई

प्रायोगिक योजना का विस्तार है। उस समय 42 कैन्सररोगी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया था। इसके बाद 526 ब्रांड की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) में 90 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई थी। नई व्यवस्था के तहत अब अधिक कैन्सररोगी दवाएं इसके दायरे में आएंगी। निम्नातीनों को राजनज्र

अधिसूचना प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर संशोधित कीमतों की जानकारी एनपीपीए को देनी होगी। उन्हें नई मूल्य-सूचियों अपनी वेबसाइट पर जारी करने के साथ खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों तक भी पहुंचानी होगी। नौ नवंबर से दवा दुकानों और अस्पतालों को संशोधित कीमतों के अनुसार ही दवाएं बेचनी होंगी। उन्हें अपनी फार्मासी में नई कीमतें प्रदर्शित करनी होंगी। अस्पतालों को अपनी वेबसाइट पर भी संशोधित दाम प्रमुखता से दिखाने होंगे। मरीज एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल एप के जरिये नई कीमतें देख सकेंगे।

## मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों की गोलीबारी में एक की मौत

इंफाल, प्रेड : मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने एक गांव पर गोलीबारी की, जिसमें 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोपहर करीब 2:30 बजे चरसाद गांव में कई गोलियां चलाई गईं। इसके बाद स्थानीय सशस्त्र समूह और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। शाम तक गोलीबारी जारी थी। अधिकारी ने बताया कि गांव के प्रमुख थंगजाही हाओकिप और खेलुन हाओकिप, सेइखोही, हेगिन हाओकिप तथा सेइपाओ हाओकिप घायल हुए।

## कोटा में पुलिया से गिरी मिनी बस, आठ की मौत

जागरण संवाददाता, जगपुर : कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। समिलिया थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 15 फीट नीचे नाले में गिर गई। हादसे में आठ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। मृतक और घायल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निवासी हैं। सभी खाइयामजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, यात्री मोपल से शुक्रवार शाम सात बजे खाना हुए थे। हादसे में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री ने उपचार के दौरान मृत हो दिया।

जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने से हादसा होने की आशंका जताई गई है।

# संकरे रास्ते, बारिश और अंधेरा... पूजा के पंडाल में ऐसे मची भगदड़



कोलकाता में दुर्गापूजा पंडाल में शनिवार को भगदड़ के बाद के पंडाल के बाहर बिखरे पड़े लोगों के जूते-चप्पल। प्रेड

### कोलकाता दुर्गापंडाल हादसा

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : कोलकाता के चौरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम हुई भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संकरे प्रवेश और निकास द्वार, तेज बारिश, अंधेरा और सपामी की शाम उमड़ी भारी भीड़ ने स्थिति को भयावह बना दिया। लोगों के बीच अफरा-तफरी के दौरान पंडाल का एक हिस्सा भी ढह गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पंडाल के प्रवेश और निकास द्वार काफी संकरे थे। इलाके में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी। प्रवेश के लिए करीब डेढ़ घंटे तक कतार में खड़े

- दो घंटे तक कतार में खड़े रहे, धक्का-मुक्की में गिरे लोग
- प्रत्यक्षदर्शी ने कहा- मौके पर पुलिस और स्वयंसेवक नहीं थे

### अंधेरे में गिरे लोग, मदद के लिए लगाते रहे गुहार

प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, अंधेरे के कारण दो लोग गिर पड़े। उनके ऊपर कई अन्य लोग भी गिर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मौके पर न तो पुलिसकर्मी थे और न ही स्वयंसेवक, जो भीड़ को नियंत्रित कर लोगों की मदद कर सकें। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भीड़ के दबाव में कई लोग बेहोश हो गए। कुछ घायलों को मोटरसाइकिलों से अस्पताल ले जाना पड़ा।

रहने के बाद बारिश शुरू होने से लोग जल्दी अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ गया और लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे। प्रत्यक्षदर्शी की बेटी और नातिन भी हादसे में घायल हुईं। पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम करीब 7:40 बजे पूजा पंडाल के निकास द्वार पर भारी भीड़ और बारिश के कारण भगदड़ हुई। पुलिस, अग्निशमन विभाग, आराम प्रबंधन दल और चिकित्सा टीमों को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया।

## केवल लंबे समय तक अलग रहना तलाक का आधार नहीं: हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : पत्नी से विवाह-विच्छेद की मांग करने वाले राजनांदगांव निवासी रोहित रजक को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि केवल लंबे समय तक अलग रहने से विवाह-विच्छेद का अधिकार नहीं मिलता जाता। पति को क्रूरता या परित्याग के निशानिष्ठ कानूनी आधारों को साक्ष्यों से साबित करना होगा। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सुष्मा सावंत को खंडपीठ ने रोहित की अपील निरस्त कर पारिवारिक न्यायालय के विवाह-विच्छेद देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा। बता दें कि रोहित और संतोषी रजक का विवाह 18 जून 1998 को पिलाई में हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार, पत्नी 25 अक्टूबर 2010 को सरकारी आवास छोड़कर मायके चली गई और नकदी, गहने तथा जमीन के दो भूखंडों के दस्तावेज साथ ले गई। उसने पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना और दूसरी शादी के झूठे आरोप लगाने का दावा किया। पत्नी ने कहा कि पति ने उसे बांड कक्कर प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। उसके मुताबिक, पति भरण-पोषण से बचने के लिए विवाह विच्छेद चाहता था।

Office of the Cantonment Board Kasauli  
कार्यालय छावनी परिषद कसौली  
Ministry of Defence, Govt. of India  
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार  
O/O of the Cantonment Board Kasauli,  
Solana, HP-173204  
Email-id:ceokasa[at]hypen[stats]at[nic][dot]in  
Website:kasauli.cantt.gov.in  
Phone:01792-273029

संख्या:सी.बी.के./पीएसएड/सी/17/डेट-1774 दिनांक:17 अक्टूबर, 2026

**NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI)**

Cantonment Board, Kasauli, invites Expressions of Interest (EOI) from eligible vehicle owners, transport contractors, firms, agencies and service providers for providing a **conservancy vehicle (Tipper with Covered Body)** on an outsourcing basis for transportation of municipal solid waste/garbage generated within Kasauli Cantonment to the designated waste disposal/processing facility at JBR Environment Technology, Kendhuwal, Baddi,

The vehicle shall be deployed on an as-and-when-required basis, depending upon the operational requirements of the Cantonment Board. Payment shall be made strictly on a per-trip basis for trips actually performed and duly verified by the authorized officials of the Board.

Interested parties shall submit their EOI **both through email at ceokasa-stats[at]nic.in and in physical form at the office of the Cantonment Board, Kasauli, on any working day up to the last date of submission, i.e., 02 November 2026, by 1700 hours (5:00 PM).** EOIS received after the stipulated date and time shall not be considered.

The detailed terms and conditions of the EOI may be obtained from the office of the Cantonment Board, Kasauli, on any working day during office hours or downloaded from the official website: **https://kasauli.cantt.gov.in.**

For any enquiry or clarification, interested parties may contact **9882720471.**

**Chief Executive Officer**  
Cantonment Board Kasauli

Office of the Cantonment Board Kasauli  
कार्यालय छावनी परिषद कसौली  
Ministry of Defence, Govt. of India  
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार  
O/O of the Cantonment Board Kasauli,  
Solana, HP-173204  
Email-id:ceokasa[at]hypen[stats]at[nic][dot]in  
Website:kasauli.cantt.gov.in  
Phone:01792-273029

No. CBK/Bldg/3-1771 17 October 2026

**EXPRESSION OF INTEREST (EOI)**

The Cantonment Board Kasauli invites Expressions of Interest from experienced and qualified agencies/firms/institutions for Fire Safety Audit and Inspection of Buildings/Sites, Preparation of Detailed Project Report (DPR) and Advisory on Fire Safety Upgradation in Kasauli Cantonment.

The detailed EOI document, including scope of work, eligibility criteria and submission procedure, is available on the Board's **website kasauli.cantt.gov.in.**

**Last date for submission of EOI: 05-11-2026 up to 1300 hrs.**

The Board reserves the right to accept or reject any or all EOIs, or to cancel the process, without assigning any reason. Any corrigendum or extension will be published on the website only.

(Suman Saurabh)  
**Chief Executive Officer**  
Cantonment Board Kasauli

**बैंक ऑफ बड़ोदा**  
Bank of Baroda

आर्चलिक्र तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसुली शाखा ( जैडओएसएआरबी ),  
एम्एससी 1120-1121, सेक्टर 22- , चंडीगढ़ - 160022  
मो: 88269-90503, ई-मेल: ARMCHA@bankofbaroda.bank.in

**चल / अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**  
परिशिष्ट-IV ए (नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के प्राधान्य देखें)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के प्राधान्यों के साथ पठित प्रतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता को और विशेष रूप से ऋणकर्ता/बंधककर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभाषित है, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ोदा के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया है, उसे "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे उल्लिखित खाते/खातों में देव राशि की वसुली के लिए बेचा जाएगा। ऋणकर्ता/बंधककर्ता /गारंटर/ सुरक्षित परिसंपत्ति/देव राशि/आरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोलों वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्र. सं. | राजका का नाम और प्रणी/गारंटर एवं मॉडेणर | वस्तु/अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो                                            | कुल देव राशि                                                                           | ई-नीलामी की तिथि और समय                         | आरक्षित मूल्य ईएमडी                           | कटौती की रिविति (रचनात्मक / भौतिक) | संयुक्त के निरीक्षण की तिथि और समय | प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर      |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | <b>जैडओएसएआरबी, चंडीगढ़</b>             | श्रीमती दिवंगत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह के नाम पर नारायणगढ़, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला | रु.5,75,85,683/-+ ब्याज और अन्य मूल्य तिथि 28.01.2019 से प्रभावी (-) वसूली, यदि कोई हो | 07.11.2026 प्रातः 11:00 बजे से साव 15:00 बजे तक | रु. 25,00,000/- रु. 2,50,000/- रु. 1,00,000/- | भौतिक कब्जा                        | 04.11.2026 ई-पट्टे निगुवि के साथ   | Mr. Pradeep Swar Bhardwaj Mobile: 8826990503 |

नोट:- श्रीमती दिवंगत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह के अंदर, एम.सी. हाउस नं.103, बार्ड नं.3 में स्थित आवासीय संपत्ति, मपान92.08 वर्ग गज। संपत्ति आईडी:- BARB3775008112102. नोट:- यह नीलामी एम्ए संख्या 110/2021, डीआरटी-2, चंडीगढ़ के परिणाम के अधीन है।

**ई-नीलामी बिक्री सूचना**

विस्तृत नियमों और एलन को निम्न लिंक पर देखें

नई दिल्ली, प्रेड : कैन्सर के इलाज पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए सरकार ने 137 रै-अनुसूचित कैन्सररोगी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय कर दिया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के इस फैसले से मौजूदा मूल्य संरचना के आधार पर दवाओं की खुदरा कीमतों में 70 प्रतिशत तक कमी आएगी की उम्मीद है। नई व्यवस्था नौ नवंबर से लागू होगी।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, एनपीपीए ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत यह कदम उठाया है। यह

नौ नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, खुदरा कीमतों में 70 प्रतिशत तक कमी की उम्मीद

प्रायोगिक योजना का विस्तार है। उस समय 42 कैन्सररोगी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया था। इसके बाद 526 ब्रांड की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) में 90 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई थी। नई व्यवस्था के तहत अब अधिक कैन्सररोगी दवाएं इसके दायरे में आएंगी। निम्नातीनों को राजनज्र

अधिसूचना प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर संशोधित कीमतों की जानकारी एनपीपीए को देनी होगी। उन्हें नई मूल्य-सूचियों अपनी वेबसाइट पर जारी करने के साथ खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों तक भी पहुंचानी होगी। नौ नवंबर से दवा दुकानों और अस्पतालों को संशोधित कीमतों के अनुसार ही दवाएं बेचनी होंगी। उन्हें अपनी फार्मासी में नई कीमतें प्रदर्शित करनी होंगी। अस्पतालों को अपनी वेबसाइट पर भी संशोधित दाम प्रमुखता से दिखाने होंगे। मरीज एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल एप के जरिये नई कीमतें देख सकेंगे।